हिन्दी में निर्वाचन आयोग का कार्य

8252. श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निर्वाचन आयोग का कार्य हिन्दी में कराने के लिये उचित व्यवस्था की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) जी हां। निर्वाचन आयोग के स्थापन में हिन्दी कार्य करने के लिए इस समय एक हिन्दी अनुवादक और दो हिन्दी सहायक हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पिछले आम चुनावों सम्बन्धी प्रतिवेदन

8253. डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री आत्म दास :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्वाचन आयोग द्वारा पिछले आम चुनावों के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन के साथ-साथ इसका हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित कराने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) चतुर्थ साधारण निर्वाचनों पर निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट अक्टूबर, 1967 के अन्त तक तैयार हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग). जी नहीं। इस विस्तृत रिपोर्ट का जो कि दो खण्डों (साधारण और सांख्यिकीय) में है इतनी अल्प कालावधि में हिन्दी में अनुवाद कराना साध्य नहीं है कि दोनों संस्करण साथ-साथ निकाले जा सकें।

Compensation of Crew of 'Jal Jawahar'

8254. Shri Ram Sewak:
Shri Balgovind Verma:

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2173 on 15th March, 1966 and state:

(a) whether any compensation has since been paid to the kith and kin of the crew of 'Jal Jawahar' and if so, the amount of compensation paid in each case; and

(b) if not, the reasons for the delay and when is it likely to be finalised?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) No, Sir.

(b) The case is pending in the Court of the Commissioner for Workmen's Compensation, Port Blair. The Commissioner has already been requested through the Administration of Andaman and Nicobar to expedite proceedings in this case.